संख्याः–1347/XIV–1/2015–5(19)/2010

प्रेषक,

विजय कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादूनः दिनॉक 15, सितम्बर, 2015

विषयः– **सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों को सहकारी बैंकों/संस्थाओं द्वारा कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–7113/नियो0/सह0स0यो0/2014–15 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं मूल्यांकन अध्ययन सम्बन्धी नियोजन विभाग के पत्र संख्या–1148/250/यो0आ0/मू0/अ0/2011 दिनांक 15.10.2012 तथा नाबार्ड के परिपत्र संख्याः–एनबी/56/पीसीडी–27/2012 दिनांक 09.10.2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फसली/कृषि ऋण के साथ ही कृषियेत्तर ऋण यथा कृषि निवेश, औद्यानिक, डेरी विकास, पशुपालन पर रूपये 50,000.00 तक पांच प्रतिशत तथा रूपये 50,000.00 से 3.00 लाख तक 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण अनुमन्य कराने हेतु सहकारी सहभागिता योजना को दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक कियान्वित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से समितियों के माध्यम से स्वीकृत सहकारी ऋणों को प्रश्नगत योजना से आच्छादित समझा जायेगा। योजना का लक्ष्य समूह तथा कियान्वयन की सीमा निम्नवत् होंगीः–

(1) योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी0पी0एल0 परिवार के कृषक आच्छादित होगें तथा एक परिवार के एक ही सदस्य को योजना का लाभ अनुमन्य होगा।

(2) लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी0पी0एल0 परिवार का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/घोषित ऐजेन्सी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।

(3) उक्त योजना का लाभ सहकारी बकायेदार सदस्यों को अनुमन्य नही होगा।

(4) यदि पात्र लाभार्थी/ कृषकों को योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है और वह अपने ऋण का भुगतान निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नही कर पाता है, तो उस सदस्य को उक्त योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा और उससे चालू सामान्य ब्याज दर के अनुसार वसूली की जायेगी।

(5) योजना दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से दिनांक 31 मार्च, 2016 तक स्वीकृत ऋणों पर लागू होगी। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्षों में वितरित अल्पकालीन,मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऐसे ऋण जिनकी वसूली

अभी बाकी बाकी है तथा लाभार्थी द्वारा समय से किस्तों का भुगतान किया जा रहा है (बकाया ऋण की धनराशि को छोड़कर) पर भी योजना लागू रहेगी।

(6) कृषि यन्त्रों हेतु वितरित किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा 3.00 लाख होगी तथा किसी भी परिवार के मात्र एक सदस्य को केवल एक बार के लिये ही उक्त ऋण अनुमन्य होगा।

(7) योजनान्तर्गत वर्ष में वितरित ऋणों की तीन वर्षों में देय किस्तों तक ही राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान देय होगा। आगामी वर्षों में सामान्य लागू ब्याज दरों पर ऋण की वसूली की जायेगी।

(8) फसली ऋणों के लिये निर्धारित अर्धवार्षिक/वार्षिक भुगतान के अतिरिक्त अन्य ऋणों पर रियायती दरों पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी, ताकि दिनांक 31 मार्च, 2016 तक स्वीकृत ऋणों का निपटारा समय से किया जा सके।

(9) योजना के अन्तर्गत अल्पकालीन फसली ऋण रूपये 50,000.00 तक 5.0 प्रतिशत् तथा रूपये 50,000.00 से 3.00 लाख तक 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर अनुमन्य होगा। अल्पकालीन/फसली ऋणों के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों की सीमा, नाबार्ड से रियायती दरों पर प्राप्त ऋण के विरूद्ध एवं बैंकों को निर्धारित वार्षिक प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता की गणना कर सहकारी बैंकों के लिये ऋण पर लागू दरों के सापेक्ष आंकलित की गयी अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा चार प्रतिशत की सीमा तक ब्याज अनुदान अनुमन्य कराया जायेगा।

(10) योजनान्तर्गत ऋण वितरण का लक्ष्य प्राविधानित बजट के सापेक्ष ही निर्धारित किया जाय।

3– योजना के कियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक तथा जनपद स्तर पर जिला सहकारी बैंकों को नोडल एजेंसी नामित किया जाता है। जनपद स्तर पर सचिव पैक्स के स्तर से सूचना प्राप्त कर सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता एवं शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक के संयुक्त हस्ताक्षर से जिला सहायक निबन्धक को योजना की प्रगति प्रेषित की जायेगी। उक्त प्राप्त विवरण को जिला सहायक निबंधक/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंकों के संयुक्त हस्ताक्षर से वितरित ऋणों का मासिक विवरण राज्य सहकारी बैंक को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके द्वारा समग्र संकलित विवरण सहित अनुदान व प्रतिपूर्ति की मांग निबन्धक तथा नाबार्ड को त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार अथवा उनके द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्रस्तुत की जायेगी। निबन्धक सहकारी समितियॉ द्वारा अपने स्तर पर भी समीक्षा कर नियमानुसार अनुमन्य अनुदान की मांग प्रत्येक त्रैमास में वितरित किये गये ऋणों के सापेक्ष राज्य सरकार व भारत सरकार से की जायेगी।

4– सहकारी सहभागिता योजना का नियोजन विभाग द्वारा पूर्व में कराए गए मूल्यांकन अध्ययन के क्रम में विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियां सुनिश्चित की जायेगीः–

1. निबन्धक, सह0समि0मुख्यालय व जिला सहकारी बैंक तथा विकास खण्ड स्तर पर आंकड़ों का रख–रखाव विधिवत रखना सुनिश्चित किया जाए।
2. मुख्यालय स्तर, जिला स्तर व विकास खण्ड स्तर पर अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

3. योजनान्तर्गत रोजगारपरक योजनाओं के लिए ऋण स्वीकृति हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय रखकर ऋण वितरण करना सुनिश्चित किया जाए।

4. कृषि एवं कृषियेत्तर कार्य हेतु ऋण वितरण सहकारी समिति के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अनुमन्य अनुदान प्राप्त हो सके। सहकारी सहभागिता योजना का सम्पूर्ण संचालन सचिवों द्वारा सम्पादित किया जाता है, कार्य हित में सहकारी समितियों के सचिवों के रिक्त पद भरे जाएं।

5. सहकारी सहभागिता योजना को कृषि यंत्र वितरण योजना से डवटेल कर दिया जाए।

योजना के संगत दिशा–निर्देश तथा वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सचिव।

संख्याः– 1347 (1)/XIV–1/2015, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, एफ0आर0डी0सी शाखा/सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढवाल।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, प्लाट न0 सी0–24, ब्लाक जी, पोस्ट बैग न0 8121 बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, मुम्बई (51)।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
10. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैकं लि0, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक,एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
12. वित्त/नियोजन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
उपसचिव।